प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र /......................

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

स्व0 अणदीलाल के खिलाफ भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 197 की धारा 15(1) के अंतर्गत कार्यवाही चल रही थी। जिसमें प्रतिवादीगण क्रेतागण ने न्यायालय अतिजिला कलेक्टर(प्रशासन) बून्दी में उजरदारी प्रस्तुत की थी। उजरदारी का निर्णय मिसल संख्या 17/प्रार्थनापत्र/94 रामकंवरी बनाम देवींचरण वगै0 में दिनांक 13. 06.1997 को हुआ, उजरदारी खारीज कर दी गई। इस आदेश के विरूद्ध उजरदारान द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत अपील सं0 78/97 रामकंवरी बनाम देवींचरण अपील सं0 79/97 देवींकिशन बनाम देवींचरण एवं अपील सं0 890/97 रामदेव बनाम देवींचरण सयुंक्त आदेश द्वारा दिनांक 23.03.2000 को खारीज कर दी गई। उजरदारान ने राजस्व मण्डल के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। जिसमें लगभग डेड वर्ष पूर्व याचिका स्वीकार करते हुये भूमि को सीलींग से मुक्त किया गया।

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल भूमि का विधिवत् बंटवारा करवाकर 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार बंटवारा करने हेतु आग्रह किया किन्तु प्रतिवादीगण ने कोई ध्यान नहीं दिया। स्व0 मांगीलाल केवल मात्र हस्ताक्षर करना जानते थे। तथा वे अशिक्षित थे। वादीगण की ओर राजस्थान राज्य को धारा 80 जा0दी0 का नोटिस देकर यह वाद प्रस्तुत किया गया है। बंटवारे के दावे हेतु कोई अवधि निर्धारित नहीं है। वाद कारण दिनांक 04.02.2010 को नोटिस की अवधि समाप्त होने पर न्यायालय के न्यायिक क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। वादीगण ने प्रार्थना की है कि वादीगण के 1/3 हिस्सा खातेदारी अधिकार घोषित किया जाकर विधिवत् बंटवारा द्वारा वादीगण के खाते में पूर्व में दर्ज हो चुकी भूमि खसरा सं0 1649/1090 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा एवं 1650/1090 रकबा 6 बीघा को वादीगण के हिस्से में मानते हुऐ शेष 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादीगण के स्वतंत्र खाते दर्ज की जावे तथा स्वतंत्र कब्जा प्रदान किया जावें।

इस प्रकार वादीगण वाद ग्रस्त भूमि में अपना 1/3 हिस्सा भूमि खातेदारी अधिकार घोषित करवाकर उनके खाते दर्ज हुई 17 बीघा 6 बिस्वा हिस्से में बंटवारें में मानते हुऐ शेष 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण क्रम सं0 लगायत 16 के खाते दर्ज कृषि भूमि में से प्राप्त करने, कब्जा प्राप्त करनें एवं खाते दर्ज करवाने की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।

बहस एकपक्षीय सुनी गयीं एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वाद वर्णित आराजी के संबंध में सिलिंग प्रकरण जेरकार रहे है उक्त वाद वर्णित आराजी में से वादी के कथनानुसार 05.08.1969 को 51 बीघा भूमि का बेचान हो चुका है एवं उक्त 51 बीघा भूमि में से पुनः बेचान भी हो चुका है। ऐसी स्थिती में वादी द्वारा 42 वर्ष पश्चात वाद वर्णित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु वाद दायर क्यो किया गया इस बाबत वाद में कोई स्पष्ट कारण अंकित नहीं किये गये। ना ही वादी ने अपने भाई राजमल व कल्याण द्वारा हिस्से से अधिक बेचान की गई भूमि बाबत विक्रय पत्र को निरस्त करने हेतु कोई वाद दायर किया गया। उक्त 42 वर्ष कि अवधि पश्चात वाद दायर करने के स्पष्ट कारणों के अभाव में उक्त वाद अवधि बाधित होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है।

अतः वाद वादी अवधि बाधित होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

Scanned with OKEN Scanner